

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/8567 /

जबलपुर, दिनांक 22/12/2023

श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 10.06.2023 से 16.06.2023 तक 7 दिन एवं दिनांक 30.06.2023 से 14.07.2023 तक 15 दिन (कुल 22 दिन) का निरस्त अर्जित अवकाश आवेदन पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत अभ्यावेदन आवेदन पत्र दिनांक 30.09.2023 को अमान्य किया गया एवं उक्त अवधि (22 दिन) को अवैतनिक किया जाकर वेतन का कटौती किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(संदीप शर्मा)


प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्या.)

पृष्ठांकन क्रमांक A/8568 /

जबलपुर, दिनांक 22/12/2023

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती प्रीति गाडे, ए.ओ. (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अनिल कुमार) 21/12/23
रजिस्ट्रार (न्यायिक-एक)
